संख्या–1623 / 9–न0भू02000–1011यू0सी0 / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

2. सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमारोपण,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 9 अगस्त, 2000

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के अन्तर्गत सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे में प्राप्त भूमि का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1279 / 9–आ–6–दिनांक 21, अक्टूबर, 99 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गये थे कि ऐसी भूमि का निस्तारण किया जाय जो, सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे में प्राप्त हो, परन्तु शासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि ऐसी भूमि का भी निस्तारण / –आवंटन किया जा रहा है जिसमें धारा 10(3) की कार्यवाही हुई है परन्तु 10(5) की कार्यवाही नहीं हुई है और शासन द्वारा कब्जा भी नहीं किया गया है यह स्थिति ठीक नहीं है। अतः ऐसे प्रकरणों में न्याय विभाग का निम्न परामर्श प्राप्त हुआ है :–

''निरसन अध्यादेश अधिनियम की धारा 3(2) उन मामलों में भी अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि की वापसी के लिये भी प्राविधान करती है, जिनमें कब्जा नहीं किया गया और प्रतिकर का भुगतान हो गया हो, तो उस स्थिति में ऐसी भूमि का कब्जा वापस होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया प्रतिकर वापस हो जाए।''

इस प्रकार ऐसी भूमि जो अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है, एवं धारा 10(3) की कार्यवाही हो चुकी है परन्तु कब्जा नहीं किया गया है, को किसी शासकीय विभाग या अन्य को आवंटित / हस्तान्तरित न किया जाए, वरन प्राप्त परामर्शानुसार भू–स्वामी को वापस प्राप्त हो जायेगी।

तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 1623 / 9न0भू099–1011यू0सी0 / 2000तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव